भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोकसभा
तारांकित प्रश्न संख्या – 265
दिनांक 13.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेश में भारतीयों को भर्ती करने वाली एजेंसियों की निगरानी

***265. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः**
श्री जी. एम. हरीश बालयोगीः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में वर्तमान में पंजीकृत और कार्यशील मैनपावर कंसल्टेंसी/भर्ती एजेंसियों की राज्यवार कुल संख्या कितनी हैं;
(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में मैनपावर कंसल्टेंसी/भर्ती एजेंसियों को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा विशेषतः आंध्र प्रदेश सहित राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार क्या कदम उठाए गए हैं/ पहल की गई हैं;
(ग) क्या सरकार इन एजेंसियों द्वारा विदेशों में, विशेषतः शारीरिक श्रम वाली नौकरियों के लिए भारतीय लोगों की भर्ती के लिए पेश किए जाने वाले विभिन्न रोजगार पैकेजों की निगरानी/विनियमन करती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या कुछ ऐसे देशों ने, जिनमें उत्प्रवास जांच आवश्यक (ईसीआर) है, ऐसे स्पष्ट दिशानिर्देश बनाए हुए हैं जिनके अनुसार नियोक्ताओं को कर्मचारियों के वीज़ा प्रायोजन, चिकित्सा बीमा, इनबाउंड फ़्लाइट टिकट और इसी तरह के लाभ को कवर करना अपेक्षित है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) मैनपावर कंसल्टेंसी या भर्ती एजेंसियों को कर्मचारियों को उपर्युक्त लाभ से वंचित करने तथा नियोक्ताओं और कर्मचारियों, दोनों से लाभ कमाने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
विदेश मंत्री
[डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर]

(क) से **(ङ)** वक्तव्य सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"**विदेश में भारतीयों को भर्ती करने वाली एजेंसियों की निगरानी**" के संबंध में दिनांक **13.12.2024** को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या ***265** के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित वक्तव्य।

(क**)** से **(**ङ**)** ई**-**माइग्रेट पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार**,** आज की तारीख तक देश भर में **2,164** पंजीकृत भर्ती एजेंट **(**आरए**)** हैं। राज्यवार विवरण अनुबंध में दिया गया हैं ।

मंत्रालय**,** आंध्र प्रदेश सहित देश भर में पंजीकृत भर्ती एजेंटों को विनियमित करने के लिए समय**-**समय पर उपयुक्त उपाय करता है और दिशानिर्देश जारी करता है। उत्प्रवास अधिनियम**, 1983** की धारा **10** के अनुसार**,** कोई भी व्यक्ति/एजेंसी**,** पंजीकरण प्राधिकारी यानी उत्प्रवासी महासंरक्षक **(**पीजीई**)** द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र **(**आरसी**)** के बिना भर्ती एजेंट **(**आरए**)** के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। आरए के पंजीकरण की प्रक्रिया एक वेब**-**आधारित एप्लिकेशन यानी ईमाइग्रेट पोर्टल के माध्यम से की जाती है**,** जो आरए**,** विदेशी नियोक्ता **(**एफई**)** और संभावित प्रवासियों सहित सभी हितधारकों को एक साझा मंच पर लाता है। जब भी किसी पंजीकृत भर्ती एजेंट के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है**,** तो संबंधित भर्ती एजेंटों को उत्प्रवास अधिनियम**, 1983** की धारा **14** के तहत कारण बताओ नोटिस **(**एससीएन**)** जारी किया जाता है**,** जिसमें उन्हें शिकायत का समाधान करने का निर्देश दिया जाता है। यदि भर्ती एजेंट कारण बताओ नोटिस का उत्तर देने में विफल रहता है या उत्तर संतोषजनक नहीं पाया जाता है**,** तो उत्प्रवास अधिनियम**, 1983** की धारा **14(2)** के अनुसार उनके पंजीकरण प्रमाणपत्र को **30** दिनों के लिए रद्द या निलंबित किया जा सकता है। निलंबन का आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा सभी हितधारकों से परामर्श के बाद और यह सुनिश्चित करने के बाद ही वापस लिया जा सकता है कि शिकायत का शिकायतकर्ता की संतुष्टि के अनुसार पूरी तरह से समाधान कर दिया गया है। मंत्रालय ई**-**माइग्रेट पोर्टल पर अपंजीकृत भर्ती एजेंटों की सूची भी प्रकाशित करता है। इस पोर्टल पर धोखाधड़ी/अवैध भर्ती एजेंसियों के बारे में परामर्शी/चेतावनी भी दी जाती है। मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से अपंजीकृत/अवैध भर्ती एजेंटों के माध्यम से हो रहे अवैध प्रवास के विरूद्ध त्वरित कार्रवाई भी करता है।

सऊदी अरब, कतर, ओमान, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, लेबनान और इंडोनेशिया जैसे कतिपय उत्प्रवास जांच अपेक्षित (ईसीआर) देश अपने स्थानीय श्रम कानूनों के अनुसार विदेशी कर्मचारियों को इन देशों के नियोक्ता द्वारा वीज़ा प्रायोजन, चिकित्सा बीमा, हवाई टिकट और इसी तरह के अन्य लाभों को कवर कराने संबंधी दिशा-निर्देश और प्रासंगिक जानकारी जारी करते हैं। यह व्यवस्था आमतौर पर नियोक्ता और कर्मचारी के बीच अनुबंध द्वारा शासित होती है।

सरकार भावी प्रवासियों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है । उत्प्रवास नियमावली **1983** (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार कोई भी आरए उसके द्वारा किसी प्रवासी को प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में उस संभावित प्रवासी से निर्धारित राशि से अधिक सेवा शुल्क नहीं वसूलेगा और आरए इस संबंध में वसूल की गई राशि के लिए प्रवासी को एक रसीद जारी करेगा। विदेशी नियोक्ताओं (एफई) द्वारा भारतीय कामगारों के शोषण को रोकने के लिए, सरकार ने ईसीआर देशों में रोजगार के इच्छुक भारतीय प्रवासी कामगारों के वेतन को विनियमित करने के लिए न्यूनतम रेफरल वेतन (एमआरडब्ल्यू) तय किया है। मंत्रालय उत्प्रवासी संरक्षक (पीओई) कार्यालयों के माध्यम से एमआरडब्ल्यू को लागू करता है। उत्प्रवासी संरक्षक कार्यालय, उत्प्रवास नियमावली के नियम **15** के साथ पठित उत्प्रवास अधिनियम **1983** की धारा **22** के अनुसार अनिवार्य उत्प्रवास मंजूरी (ईसी) प्रदान करते समय विदेशी नियोक्ताओं द्वारा प्रस्तावित वेतन की जांच करते हैं और यदि प्रस्तावित वेतन निधार्रित एमआरडब्ल्यू से कम हो, तो उत्प्रवास मंजूरी देने से इंकार कर देते हैं।

*****

अनुबंध

08 दिसंबर **2024** तक ई-माइग्रेट पोर्टल पर पंजीकृत भर्ती एजेंटों **(**आरए**)** का राज्यवार विवरण।

क्रम सं**.**	राज्य	सक्रिय भर्ती एजेंटों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	**35**
2.	असम	**2**
3.	बिहार	**26**
4.	छत्तीसगढ़	**1**
5.	चंडीगढ़	**29**
6.	दिल्ली	**327**
7.	गोवा	**12**
8.	गुजरात	**19**
9.	हिमाचल प्रदेश	**1**
10.	हरियाणा	**26**
11.	झारखंड	**7**
12.	जम्मू एवं कश्मीर	**5**
13.	कर्नाटक	**70**
14.	केरल	**308**
15.	महाराष्ट्र	**637**
16.	मध्य प्रदेश	**1**
17.	मिजोरम	**2**
18.	ओडिशा	**6**
19.	पंजाब	**155**
20.	पुदुचेरी	**1**
21.	राजस्थान	**76**
22.	तेलंगाना	**104**
23.	तमिलनाडु	**180**
24.	उत्तराखंड	**7**
25.	उत्तर प्रदेश	**90**
26.	पश्चिम बंगाल	**37**
	कुल	**2,164**

*****